# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :— अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

प्र.सं. 82/2019
सीसीएमएस : 2019/00262

1. सुखदेव सिंह पुत्र मेहताब सिंह जाति रायसिख निवासी बिशनपुरा रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

—: प्रार्थी

**बनाम**

1. जसवन्त सिंह पुत्र मेहताब सिं जाति रायसिख निवासी 48 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

—: अप्रार्थीगण

**अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

**उपस्थिति :—**

1. श्री संदीप जोशी, वकील प्रार्थी
2. श्री रणजीत सिंह सोनी, वकील अप्रार्थी सं. 1

## —: निर्णय :—

दिनांक : 31.03.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 राज.काश्त. अधि. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 1 के पिता मेहताब सिंह चक 4 बीपीएम तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 51 मु.नं. 7 प.नं. 115/322 में कुल 6.199है. कमाण्ड भूमि धारण करते थे। प्रार्थ के पिता व माता दोंनों का देहान्त हो चुका है और पिता ने अपने जीवनकाल में ी जरिये वसीयत दिनांक 27.04.2009 में सभी चारों पुत्रों को जमीन 5—5 बीघा बांटकर दे खी है, 5 बीघा भमि अपने पास रखी हुई थी। उक्त भमि में कि.नं. 16, 17, 18, 19, 20 का पिता द्वारा घरेलू बंटवारा कर रखा था, पिता के हिस्से में कि.नं. 16, 17, 18, 19, 20 बीघा भूमि आती थी। इसलिए पिता ने प्रार्थी को कि.नं. 17—18 पर मकान बनाने दिया। प्रार्थी आज भी अपने परिवार सहित निवास करता हैं। मौके पर बडी ढाणी बनी हुई हैं। अप्रार्थी सं. 1 काफी चतुर व चालाक व्यक्ति हैं। जसवन्त सिंह ने पिता की एक फर्जी वसीयत तेयार कर उक्त किले 16, 17, 18, 19, 20 को हडपने की कुचेष्ठा की है, उक्त वसीयत का इनतकाल चढाने पर आमदा हैं। जबकि पिता ने जीवनकाल में 1—1 बीघा प्रार्थी व अप्रार्थीगण को दे रखी थी। प्रार्थी को जब फर्जी वसीयत का पता चला तो उसने अपना एतराज तहसीलदार मुकलावा में दर्ज करवा दिया। दिनांक 13.08.2019 को मौतबिरान व्यक्तियों को लेकर अप्रार्थी सं. 1 के पास जाकर उसके समझाने की कोशिश की तो अप्रार्थी सं. 1 अपनी बात पर अडा रहा और कहने लगा कि मै तो आपके मकान को ध्वस्त कर दूंगा। यही तारीख बिनाय मुखास्मत हैं। सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष का हैं, क्योंकि प्रार्थी उक्त भूमि के कि.नं. 17—18 में ढाणी व मकान बनाकर निवास कर रहा हैं। वर्तमान में फसल काश्त हैं। यदि स्थगन आदेश जारी नहीं किया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चक 4 बीपीएम तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 51 मु.नं. 7 प.नं. 115/322 में कुल 6.199है. कमाण्ड भूमि पर रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने एवं कि.नं. 17—18 में प्रार्थी के बने मकान व ढाणी से प्रार्थी को बेदखल करने से अप्रार्थी सं. 1 को रोकने के हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि महताब सिंह [illegible] अप्रार्थी का पिता हैं और विवादित रकबा उसकी स्वयं पैदा कर्दा सम्पत्ति हैं। इसलिए वह [illegible] को किसी भी को देने के लिए अधिकृत था। पिता द्वारा अपने पास कि.नं. 16 से 20 की भूमि थी [illegible] किसी प्रकार से कोई बंटवारा नहीं किया था। पिता ने उक्त भूमि 5 बीघा अपने पास रखी [illegible] और कब्जा भी महताब सिंह का था। महताब सिंह कि.नं. 17 में ढाणी बनी हुई है, जिसमें पिता मेरे साथ निवास करते थे। प्रार्थी को कि.नं. 17, 18 में किसी प्रकार को कोई मकान बनाने के लिए क[illegible] भूमि नहीं दी। पिता ने अपने जीवनकाल में दिनांक 08.08.2011 को अपने पास रखी अपने नाम भूमि का वसीयतनामा उप पंजीयक महोदय रायसिंहनगर के यहा तहरीर व तकमील करवाई जिसमें उक्त भूमि अप्रार्थी जसवन्त सिंह के हक में वसीयतनामा करवाया। अप्रार्थी पिता के साथ रहता था और उनकी सेवा करता था इसलिए भूमि पर पिता से लेकर आज तक कब्जा अप्रार्थी के पास ही हैं। नामान्तरण की कार्यवाही

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.06.07 12:08:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

को रूकवाने के मकसद से झूठा दावा पेश किया हैं। धारा 212 आरटीएक्अ में अन्य पक्षकारान को पक्षकार नहीं बनाया हैं। इससे यह साबित हैं कि कब्जा जसवन्त सिंह का ही हैं। प्रार्थी ने स्वीकार किया हैं कि नामान्तरण की कार्यवाही विचाराधीन हैं। एक ही भूमि बाबत एक ही पक्षकारान के मध्य कार्यवाही सर्वप्रथम उप तहसीलदार मुकलावा के यहा विचाराधीन हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालय में दावा व आवेदन पत्र चलने योग्य नहीं हैं। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति तीनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में ना होकर अप्रार्थी के पक्ष में हैं। और रजिस्टर्ड वसीयत महताब सिंह द्वारा जसवंत सिंह के हक में की गई हैं। कि.नं. 16 में कोई ढाणी नहीं हैं। वसीयतनामा फर्जी है तो उसको निरस्त करवाने की कार्यवाही सिविल न्यायालय में की जा सकती हैं। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 7 व धारा 151 सपीसी(आदेश 26 नियम 9) प्रस्तुत कर मौका कमीश्नर नियुक्त कर जांच करवाने हेतु निवेदन करने पर बाद सुनवाई दिनांक 03.02.2020 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उप तहसीलदार समेजा को मौका कमीश्नर नियुक्त कर जांच रिपोर्ट ली गयी। मुताबिक रिपोर्ट" मु.नं. 7 के कि.नं. 1 ता 5 मलकीयत सिंह, 6 ता 10 जसवंत सिंह, कि.नं. 11 ता 15 अमरीक सिंह व 21 ता 25 सुखदेव सिंह के हिस्से में हैं एवं काश्त मे हैं। कि.नं. 16 ता 20 में कि.नं. 17–18 में कच्चे मकान निर्मित है जो कच्ची ईंटों से बनाकर गोबर से पुताई किये गये हैं, कि.नं. 17 में एक कच्चा मकान हैं जिसकी छत नहीं हैं खंडहर रूप में हैं एवं इसमें सुखदेव सिंह के पशु बंधे हुए है एवं कुछ हिस्स कि.नं. 17 व कुछ हिस्सा कि.नं. 18 में पांच कच्चे मकान, चौक व बाखल बनी हुई हैं जिसमें सुखदेव सिंह सपरिवार निवास कर रहा हैं। एवं शेष कि.नं. 17, 18 तथा 16 19 में काश्त की हुई हैं, जो सुखदेव सिंह कीी काश्त पाई गई। उक्त मकानों का निर्माण सुखदेव सिंह के पिता का किया हुआ बताया हैं जो लगभग 30–35 वर्ष पूर्व होना प्रतीत होता है। मेहताब सिंह एवं उनकी पत्नी का स्वर्गवास 09.12.2016 को एक ही दिन होना बताया हैं। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में खातेदारी मेहताब सिंह ही अंकित हैं।"

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी कि.नं. 17–18 में ढाणी व मकान बनाकर निवास कर रहा हैं। अप्रार्थी जसवन्त सिंह ने पिता मेहताब सिंह की एक फर्जी वसीयत तेयार कर कि.नं. 16 ता 20 को हडपना चाहता हैं। मौके पर बडी ढाणी बनी हुई हैं। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध निषेधाज्ञा पारित करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी सं. 1 ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि अप्रार्थी के पिता की स्वयं की थी। अप्रार्थी के पिता ने अपने जीवनकाल में दिनांक 08.08.2011 को कि.नं. 16 ता 20 की भूमि का वसीयतनामा उप पंजीयक महोदय रायसिंहनगर के यहा अप्रार्थी के पक्ष में तहरीर एवं तकमील करवा दी थी। एक ही भूमि बाबत एक ही पक्षकारान के मध्य कार्यवाही सर्वप्रथम उप तहसीलदार मुकलावा के यहा विचाराधीन हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालय में दावा व आवेदन पत्र चलने योग्य नहीं हैं। वसीयतनामा फर्जी है तो उसको निरस्त करवाने की कार्यवाही सिविल न्यायालय में की जा सकती हैं। अतः प्रार्थना इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा विवादित भूमि की वसीयत उनके पक्ष में होने का कथन किया हैं एवं प्रार्थी द्वारा उक्त वसीयत का फर्जी होने का कथन किया हैं। एवं भूमि का प्रार्थी एवं अप्रार्थी के पिता द्वारा बांटकर दिये जाने का कथन किया हैं। रिपोर्ट मौका कमीश्नर अनुसार विवादित भूमि कि.नं. कच्चे मकान निर्मित हैं। जिसमें सुखदेव सिंह सपरिवार निवास कर रहा हैं। एवं शेष कि.नं. 17, 18 तथा 16 19 में काश्त की हुई हैं। विवादित भूमि में प्रार्थी का हक एवं हिस्सा निहित है अथवा नहीं इसका निर्णय मूल वाद ने साक्ष्यों के अधार पर किया जाना हैं। ऐसी स्थिति में सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में हैं। यदि अप्रार्थी के विरूद्ध निषेधाज्ञा पारित नहीं की जाती हैं तो विवादित भूमि के रहन बैय होने से वाद बढने की संभावना हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालय की मत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आरटीए स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं कि मूल वाद के निस्तारण तक चक 4 बीपीएम तहसील रायसिंहनगर के ख.सं. 91 मु.नं. 7 प.नं. 115/322 में कुल 6.199है. कमाण्ड भूमि पर रिकार्ड की यथास्थिति रखें।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 31.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.06.07 12:08:22 IST
Reason: SelfAttested

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner